



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-१६

क्रमांक: रासंवि/शै0/2016-17/शैक्षणिक/ ४४०

कार्यालय आदेश

दिनांक 14.10.2017

दिनांक 11.10.2017 को शोध छात्रवृत्ति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय एवं कुलपति महोदय की स्वीकृति पर 2016-2017 में प्रविष्ट निम्नलिखित शोधच्छात्रों को प्रवेश तिथि से तीन वर्ष के लिए नियमानुसार, विषयगत सर्वाधिक अंक होने के कारण छात्रवृत्ति प्रदान करने की समिति द्वारा अनुशांसा की गई :-

प्रथम वरीयता सूची:-

क्र०सं०	विषय	छात्र का नाम	प्रवेश तिथि	पूर्णांक/प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
01.	शिक्षाशास्त्र	श्री प्रभाकर	29.12.2016	2900/2279	78.59	GEN
02.	धर्मशास्त्र	श्री इन्द्रजीत शर्मा	03.01.2017	2200/1441	65.50	GEN
03.	सिद्धान्त ज्योतिष	श्री राहुल प्रसाद सती	27.12.2016	2000/1647	82.35	GEN
04.	फलित ज्योतिष	श्री खेमराज रेग्मी	26.12.2016	2000/1637	81.85	GEN
05.	वास्तुशास्त्र	श्री जगदीश कुमार	13.01.2017	1000/823	82.30	GEN
06.	वेद	श्री चन्द्रशेखर मिश्र	29.12.2016	2600/1885	72.50	GEN
07.	पोरोहित्य	श्री राहुल कुमार वशिष्ठ	28.12.2016	2600/1658	63.77	GEN
08.	नव्य व्याकरण	श्री श्री गोविन्द पौडेल	26.12.2016	900/787	87.44	GEN
09.	प्राचीन व्याकरण	कु० सविता देवी	27.12.2016	2000/1577	78.85	GEN
10.	जैन दर्शन	श्री अरूण शर्मा	16.01.2017	2000/1404	70.20	GEN
11.	सर्वदर्शन	श्री गौरव बहुगुणा	29.12.2016	2600/2060	79.23	GEN
12.	न्याय वैशेषिक	श्री विनयकान्त	30.12.2016	2600/2008	77.23	SC
13.	पुराणेतिहास	श्री भुवनेश भारद्वाज	13.01.2017	2000/1640	82.00	GEN

अतः अवशिष्ट (०७) छात्रवृत्ति संयुक्त वरीयता क्रम से द्वितीय छात्रवृत्ति सूची :-

क्र०सं०	विषय	छात्र का नाम	प्रवेश तिथि	पूर्णांक/प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
14.	शिक्षाशास्त्र	श्री देवेश शर्मा	02.01.2017	2900/2096	72.28	GEN
15.	वास्तुशास्त्र	श्री गोविन्द वल्लभ	30.12.2016	2600/2029	78.04	GEN
16.	सर्वदर्शन	श्री विनय गोपाल त्रिपाठी	27.12.2016	2200/1461	66.41	GEN
17.	न्याय वैशेषिक	श्री सुरजीत मण्डल	27.12.2016	1900/1465	77.11	SC
18.	पुराणेतिहास	श्रीमती मंजू मंगल	13.01.2017	2000/1447	72.35	GEN
19.	शिक्षाशास्त्र	श्री विजय कुमार झा	02.01.2017	2900/2008	69.24	GEN
20.	फलित ज्योतिष	श्री हर्ष द्विवेदी	26.12.2016	2600/1931	74.27	GEN

P.T.O.

श्रीमती मोनिका, शोध छात्रा, प्राचीन व्याकरण विभाग सत्र 2013-14 में दिनांक 07.01.2014 को प्रो. कमला भारद्वाज के पाणिनिदर्शक में प्रविष्ट के प्रार्थना-पत्र एवं इनके विभाग में सुश्री ऋतु कुमारी को मिल रही विद्यापीठ की शोध छात्रवृत्ति इनके अध्यापक पद पर नियुक्ति होने के कारण शेष अवधि दिनांक 07.07.2014 से 06.01.2016 तक (18 माह) की विद्यापीठ की शोध छात्रवृत्ति का भुगतान श्रीमती मोनिका, शोध छात्र को करने की संस्तुति की गई है।

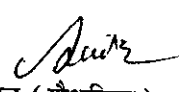
छात्रवृत्ति भुगतान हेतु शोध छात्रों को निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

- (01) पंजीकरण तिथि से छात्रवृत्ति प्ररम्भ होगी। त्रैमासिक प्रगति विवरण निर्धारित समय अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर होने वाले शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सभी शोध छात्रों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा अनुचित आचरण करने वाले छात्रों की शोध छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (02) छात्रवृत्ति की प्राप्त और उनको जारी रखने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति, प्रगति विवरण में दिये गये निर्देशों एवं विद्यापीठ के अनुशासन का सर्वथा पालन अनिवार्य होगा। जिस महीने की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी उस महीने की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (03) शोध समीक्षा समिति विभाग के शोध छात्रों के शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और प्रत्येक शोध छात्र के शोध कार्य की समीक्षा प्रति 06 मास पर होगी। विभागीय शोध समीक्षा समिति की संस्तुति के उपरान्त ही शोध छात्र का षण्मासिक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की संस्तुति की जायेगी।
- (04) यदि किसी माह में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले शोध छात्र की उपस्थिति 10 दिनों से अधिक होगी तो उसे उस माह की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं जायेगी एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आगामी माह की उपस्थिति में समायोजित नहीं जायेगा।
- (05) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार शोध छात्रों को प्रवेश तिथि से तीन वर्ष (36 माह) के लिए नियमानुसार शोध छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।
- (06) समस्त शोध छात्रों की उपस्थिति एवम् त्रैमासिक प्रगति विवरण की जानकारी सभी विभागाध्यक्षों का भेजी जाए तथा छात्रों की जानकारी हेतु सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी।
- (07) जिन शोध छात्रों को सत्र 2016-17 की शोध छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार किया जाना है, उन शोध छात्रों को अपने बैंक सम्बन्धित (Account No., ISFC Code, Bank Name, Branch & Mobile No. etc.) शैक्षणिक विभाग को लिखित स्पष्ट रूप से जमा किया जाना आवश्यक है।
- (08) यदि सम्बन्धित शोध छात्र जिसे विद्यापीठ द्वारा शोध छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जे.आर.एफ तथा अन्य किसी संस्था से छात्रवृत्ति स्वीकृत होती है तो शेष अवधि की छात्रवृत्ति, उसी विषय में पंजीकृत शोध छात्र जो कि वरीयता क्रम के अनुसार प्रथम स्थान पर होगा, उसे शेष अवधि की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकेगा।

प्रतिलिपि:-

01. समस्त संकाय प्रमुख
02. समस्त विभागाध्यक्ष
03. कुलपति के निजी सचिव
04. उप कुलसचिव (लेखा)
05. अनुभाग अधिकारी (लेखा)
06. सम्बन्धित मार्ग-निर्देशक
07. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ वेबसाइट पर अंकित करें।
08. सम्बन्धित पत्रावली
09. नोटिस बोर्ड

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)


सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)